न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 73/2018

1 रतन उम्र 50 साल पुत्र श्योराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भानाराम पुत्र झाबर।
2 फूलचन्द पुत्र झाबर।
3 बीरबल पुत्र झाबर।
4 हरिराम पुत्र झाबर समस्त जाति जाट निवासीगण सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 केदारमल पुत्र सांवरमल।
6 सुशील कुमार पुत्र सांवरमल।
7 सीताराम पुत्र सांवरमल।
8 अनार देवी पत्नी सांवरमल समस्त जाति महाजन निवासीगण ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
9 मूलचन्द पुत्र पदमाराम।
10 श्योपाल पुत्र पदमाराम।
11 हरिराम पुत्र पदमाराम।
12 बलराम पुत्र पदमाराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 कमला पुत्री सुरजाराम पत्नी लखमीचन्द जाति मेघवाल निवासी जमात कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
14 राजू देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी हरिराम जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

15 बिमला पुत्री सुरजाराम पत्नी जगदीश।
16 सन्तोष पुत्री सुरजाराम पत्नी मदनलाल समस्त जाति मेघवाल निवासीगण निर्वाणा की ढ़ाणी तन कुशलपुरा तहसील व जिला सीकर।
17 तीजा देवी पत्नी रामेश्वर।
18 शिशपाल पुत्र रामेश्वर।
19 बुधराम पुत्र रामेश्वर।
20 लीलाधर पुत्र रामेश्वर समस्त जाति मेघवाल निवासीगण सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
21 धापु पुत्री रामेश्वर पत्नी नरसाराम जाति मेघवाल निवासी बीबासर तहसील व जिला झुंझुनू।
22 मुन्नी पुत्री रामेश्वर पत्नी मनीराम जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
23 छोटी पुत्री रामेश्वर पत्नी गुटुराम जाति मेघवाल निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
24 शारदा पुत्री श्योराम पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
25 किरण देवी पत्नी दीनदयाल जाति जाट निवासी बारी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
26 सन्तोष पत्नी महावीर जाति मेघवाल निवासी सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
27 आशिष पुत्र महावीर जाति मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षिका कुदरती माता सन्तोष देवी पत्नी महावीर जाति मेघवाल निवासी ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
28 नानी पुत्री महावीर जाति मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षिका कुदरती माता सन्तोष देवी पत्नी महावीर जाति मेघवाल निवासी ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
29 लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी झुंझुनू राजस्थान बउनवानी प्रकरण
भानाराम वगैरह बनाम केदारमल वगैरह अन्तर्गत
धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय
दिनांक 14.02.2018

उपस्थिति :

1. श्री राजेश सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रवि कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सज्जन कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 262/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस ने खसरा नं. 771 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 773 में से रास्ते की मांग करते हुए धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 व 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम सिंगनौर में भूमि ख. नं. 773 रकबा 1.73 हैक्टेयर, ख. न. 1330/772

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रकबा 0.02 है. कूल किता 2 कूल रकबा 1.75 है. स्थित है, उक्त भूमि का रेवेन्यू रिकार्ड रेस्पोडेन्टगण स. 5 ल. 8 के नाम से दर्ज रिकार्ड है।, परन्तु उक्त भूमि पर मौके पर काफी समय से अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्टगण स. 9 ल. 28 काबीज है, व काश्त करते है, तथा अपने पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है। अपीलान्टा को व रेस्पोडेन्ट सं. 9 ल. 28 अपने कब्जे काश्त की उक्त भूमि का रेवेन्यू रिकार्ड रेस्पोडेन्टगण सं. 5 ल. 8 के नाम से बने हुए की जानकारी सर्व प्रथम 09/11/2018 को हुई, तब अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्टगण 9 ल. 28 ने ाएक दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अदालत मातहत के समक्ष उनवानी मूलचन्दा बनाम केदारमल मु. नं. 14/18 का पेश कियाा, उक्त दावा के साथ ही एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मूलचन्द बनाम केदारमल मु. न. 11/18 पेश किया, अदालता मातहत ने दिनांक 19.01.2018 को आवेदकगण अपीलाण्ट के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में अदालत मातहत ने मौके की रिर्पोट जरिये पटवार हल्का मण्डल सिगंनौर से मंगवायी, उक्त रिर्पोट में भी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं. 9 ल. 28 का कब्जा विवादित भूमि पर पाया, व मकानात उक्त भूमि पर पदमाराम के वारिसान के होना पाये गये, इस प्रकार उक्त खसरा न. की भूमि पर वास्तविक रूप से पदमाराम के वारिसान अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं. 9 ल. 28 काबीज है व काश्त करते है, रेस्पोडेण्ट सं. 5 ल. 8 के नाम से गलत रेवेन्यू रिकार्ड बना हुआ है, व ग्राम सिगंनौर में रेस्पोडेन्टगण सं. 5 ल. 8 वास्तविक रूप से निवास नहीं करते है, घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा अदालत मातहत के समक्ष लंबित है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जानकारी के उपरान्त विवादित भूमि पर काबिज काश्त व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विचारण न्यायालय में जिन्हें अप्रार्थीगण बनाया है उनकी सम्यक तामील नहीं हुई है। अपील के साथ प्रस्तुत पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.01.2018 से विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना प्रकट होता है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5, 6, 7 नें उपस्थित होकर प्रकरण रिमांड करने पर सहमति व्यक्त की है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट भानाराम ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है। अपीलांट खातेदार नहीं है। अपीलांट कब्जाधारी हो सकते है इससे अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। विचाराधीन निर्णय का राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। विद्वान अधिवक्ता ने वरवक्त बहस राजस्व रिकार्ड में अंकन के दस्तावेजात प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण भानाराम, फुलचंद, बीरबल व हरीराम की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह पक्षकार अपील में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 है। विचारण न्यायालय में आवेदन रिकार्डेड खातेदार केदार, सुशील, सीताराम व अनारदेवी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में रिकार्डेड खातेदार की तामील सम्यक रूप से करवाई जाकर विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

प्रस्तुत अपील अपीलांट रतन द्वारा धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। रिकार्डेड खातेदारान की ओर से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट रतन रिकार्डेड खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। वरवक्त बहस रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व रिकार्ड में विचाराधीन निर्णय की पालना के संदर्भ जमाबंदी व नक्शा प्रस्तुत किये गये है। इनसे विचाराधीन निर्णय की पालना होना जाहिर होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 96 सीपीसी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर